

23.2.24

Not press

Sanyal

Sanyal

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता एवं वादी श्री कोशलाराम पुत्र पाबुराम जाति जाट निवासी विरधासर तहसील धोरीमन्ना ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी पर लेने का पेश किया।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा एवं बंटवारे को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व वाद को खारीज करने का निवेदन किया है। वादी एवं उनके अधिवक्ता ने इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

वादी एवं उनके अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व वाद को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

